कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश,जिला कार्यालय जबलपुर

जबलपुर दिनांक 23/09/15

कमांक..2489../नग्रानि/15/

प्रति,

मुख्य कार्यपालिक अधिकारी
विकास प्राधिकरण जबलपुर

विषयः–योजना कमांक 2 "ब" के अन्तर्गत बाजनामठ/मेडीकल के अंतर्गत प्लांटेशन की भूमि पर रहवासी नियोजन बाबद्।

संदर्भः–जबलपुर विकास प्राधिकरण का पत्र कमांक 1609 दिनांक 29.06.15

जबलपुर विकास प्राधिकरण जबलपुर की योजना कमांक 2 "ब" में संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत वांछित संशोधन के संबंध में अवगत कराया जाता है कि जबलपुर विकास योजना 2021 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत संलग्न अभिन्यास में दर्शित अ, ब, स, एवं द क्षेत्र में आवासीय भूखण्डों हेतु विकास किया जाता है तो मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 28 के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तो के आधार पर आपत्ति नही है ।

1 संलग्न अभिन्यास के अ, ब, स, एवं द भाग पर विकास कार्य करने के पूर्व सक्षम प्राधिकारी से विकास अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
2 स्थल पर विद्यमान बड़े वृक्षों को काटने हेतु उद्यान अधिकारी नगर पालिक निगम जबलपुर के पत्र कमांक 93 दिनांक 14.08.2015 के द्वारा जारी दी गई शर्तो का पालन करना अनिवार्य होगा ।
3 मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बधन एवं शर्ते) नियम 1998 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत कमजोर आय एवं निम्न आय वर्ग हेतु निर्धारित 3:2 के अनुपात में आवासीय भूखण्ड विकसित कर उपलब्ध कराना अनिवार्य है ।
4 स्थल पर भवन निर्माण करने के पूर्व भवन अनुज्ञा नगर निगम जबलपुर से लेना अनिवार्य होगा ।
5 प्रस्तावित स्थल से लगे नाले की ओर 6.0 मीटर चौड़ाई में वृक्षारोपण करना आवश्यक होगा ।
6 योजना में संशोधन के संबंध में किसी भी प्रकार का तथ्य छुपाना वृक्षों को काटने के संबंध में गलत जानकारी देने अथवा ज्ञाप में उल्लेखित शर्तो का उल्लंधन करने की स्थिति में दिया गया अभिमत म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 25 के तहत् प्रतिसंहण किया जा सकेगा ।
7 स्थल पर विद्यमान 11 के.व्ही. विद्युत लाईन के शिफ्ट होने तक उसके नीचे प्रभावित भूखण्डों का विकास/निर्माण कार्य मान्य नही होगा।
8 प्रश्नाधीन भूमि के मध्य में विद्यामान नाले के अलायमेंट के परिवर्तन के पूर्व सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। ततपश्चात ही नाले से रिक्त भूमि पर भूखण्ड मान्य होगें।
9 योजना कमांक **'2 ब'** के मूल अभिन्यास में अंकित भागों को निरंतरता बनाये रखना अनिवार्य होगा।

(सी.के.राघव)
संयुक्त संचालक
~~नगर~~ तथा ग्राम निवेश
जबलपुर

पृ0कमांक............/नग्रानि/15

जबलपुर दिनांक ..../09/2015

प्रतिलिपिः– 1 आयुक्त नगर पालिक निगम जबलपुर।
2 उप पंजीयक रजिस्ट्रार ऑफ रजिस्ट्रेशन जबलपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(सी.के.राघव)
संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
जबलपुर

मु.का.अधि.
ज.वि.प्राधिकरण

जबलपुर विकास प्राधिकरण
आ.क्र. 9372
दिनांक 23/9/15
जबलपुर

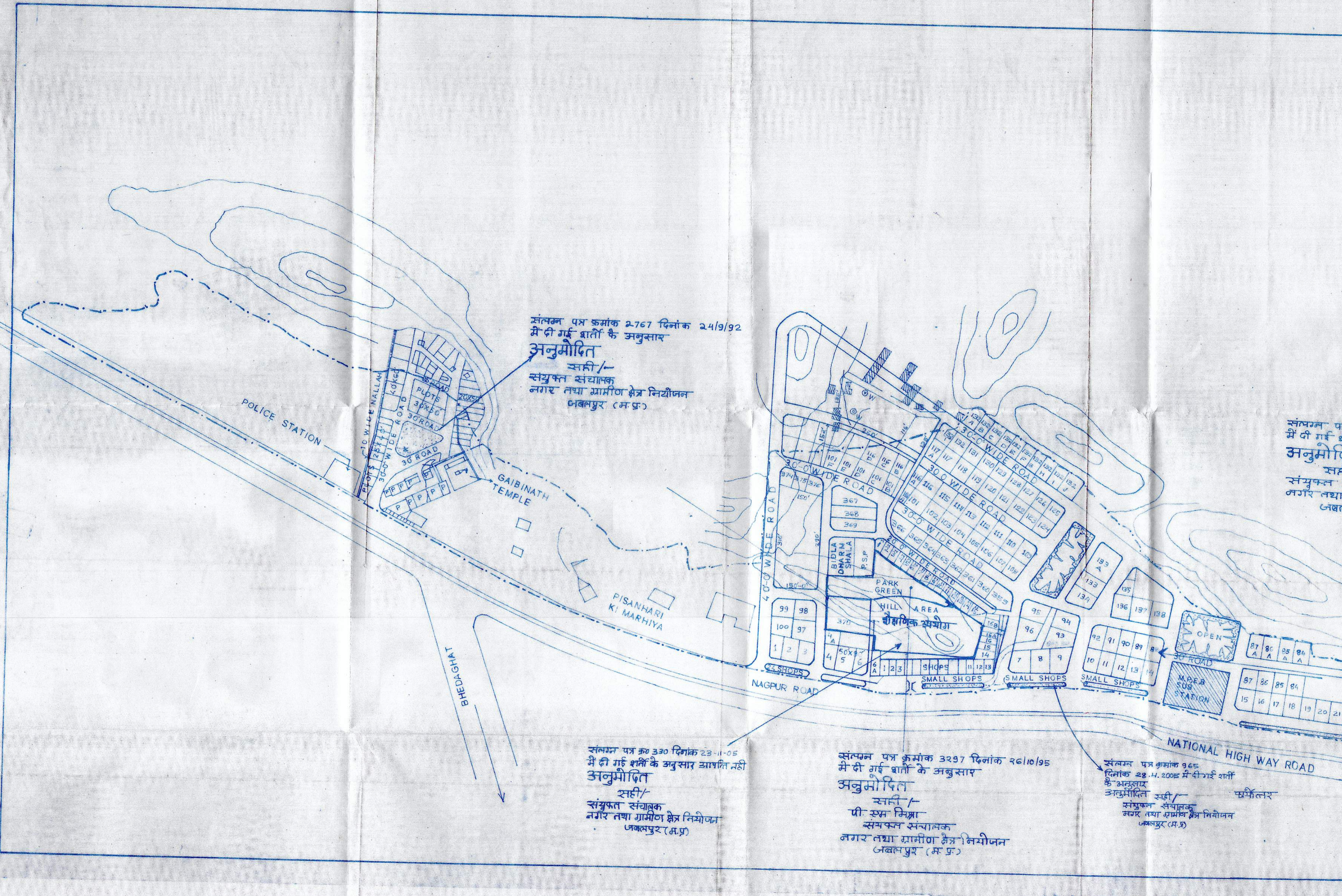

ONLY FOR SANCTION FROM TOWN AND COUNTRY PLANNING

UP-TO-DATE LAY OUT PLAN OF SCHEME No. 2B.
(AS PER SITE INFORMATION)
REVISED AREA STATEMENT.

TOTAL AREA OF SCHEME - 39.75 HECT.
DEPRESSION AREA - 5.578 HECT.
AREA LEFT FOR PLANNING - 34.172 HECT.

PROPOSED	PLANNING AREA IN HECT.	PLANNING AREA IN SQ.M.	STANDARD PERCENTAGE
RESIDENTIAL	15.804	1,58,040	46.25%
COMMERCIAL	1.057	10,570	3.09%
ROAD	8.741	87,410	25.58%
OPEN	4.110	41,100	12.03%
FACILITIES	4.460	44,600	13.05%
TOTAL	34.172	3,41,720	100%

REVISED AREA (AS PER PROP. PLANNING)

TOTAL PLOT AREA 39.750 HECT.
DEPRESSION AREA 2.039 HECT.
AREA LEFT FOR PLANNING 37.711 HECT.

RESIDENTIAL	17.831	47.28%
COMMERCIAL	1.057	2.80%
ROAD	9.808	26.00%
OPEN	4.555	12.07%
FACILITES	4.460	11.85%
	37.711	100%

PROPOSED PLANNING AREA 35391 SQM (3.539 HECT) FOR SANCTON

EXI. CANALISATION R.C.C. NALLAH

N.

NOTE: SUBJECTED TO APPROVAL BY J.D. T&C.P. DEPTT.

JABALPUR DEVELOPMENT AUTHORITY JABALPUR

DATE - 27/1/14

REVISED LAYOUT PLAN.

TRACED BY | SCALE - 1:1650 | DRAWN BY

D.M. | A.E.(P.) | A.E. | E.E. | S.E. | C.C.B. | C.E.O.